संख्या-633/2025/603/22-2-2024-17(1189)/2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरीजन पुत्र श्री मनटेकू, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-5768/प्रो(6)/233 (महिला दिव. 2024), दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरीजन पुत्र श्री मनटेकू, जो ग्राम-मुरादीपुर, थाना-हरैया, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.01.1996 को वादी की अबोध बच्ची रेनू (5-6 वर्ष) के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 312/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 व 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, बस्ती के आदेश दिनांक 02.02.1999 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया। मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उ0प्र0 सरकार द्वारा गवर्नमेंट अपील स्वीकृत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.03.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए बंदी को आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.05.2012 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.03.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 00 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा अबोध बच्ची के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार व हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध कारित किया गया है| इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/ 22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमेश हरीजन पुत्र श्री मनटेकू की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरीजन (बन्दी सं0-753/2007) पुत्र श्री मनटेकू, निवासी जनपद-बस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-633/2025/603(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।